



2026:AHC: 10454

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43762/2025

राजमनी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार पांडे, कमलेश कुमार भारती

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3-चकबंदी अधिकारी, लालगंज, जनपद मिर्जापुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 18.07.2025 को चुनौती दी गई है।

2- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त नोटिस का जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और दूसरी ओर प्रत्यर्थी उपरोक्त नोटिस के अनुसरण में याचिकाकर्ता को परेशान कर रहे हैं।

3- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

4- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में भी, याचिकाकर्ता को उसे जारी किए गए नोटिस दिनांक 18.07.2025 (जिसकी प्रति वर्तमान रिट याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है) का नया जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। यदि ऐसा जवाब आज से दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 को मामले में अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः अगले छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

5- तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।